विक्टोरिया की रिटर्न टू स्कूल (स्कूल फिर से खोलने की) योजना

अत्यावश्यक कदम	1: P-2 और सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थी ऑन-साइट स्कूलिंग अर्थात स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करना शुरु करेंगे	2: सभी विद्यार्थी दो सप्ताह बाद स्कूल वापिस जाना शुरु करेंगे	स्वास्थ्य सलाह के बाद नियमित स्कूली गतिविधियाँ शुरु हो जाएँगी
• **साफ-सफाई** अधिक साफ-सफाई कार्य लागू करने में स्कूलों का समर्थन किया जाएगा, इसमें बॉथरुम और दरवाजे के हैंडलों जैसी बार-बार छुई जाने वाली सतहों का पूरे दिन साफ किया जाना शामिल है। • **शारीरिक दूरी** स्कूल के कर्मचारियों को शारीरिक दूरी को अमल में लाने के लिए समर्थन दिया जाएगा, परन्तु स्कूली परिसर में विद्यार्थियों के बीच शारीरिक दूरी को आवश्यक नहीं माना जाता है। • **स्वच्छता** कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बार-बार हाथ धोने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं होगा, तो एल्कोहल-आधारित सैनीटाइज़र का प्रयोग किया जाएगा। • **स्वास्थ्य** यदि कोई अस्वस्थ महसूस करता है तो उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए, इसमें कर्मचारी, माता-पिता और विद्यार्थी शामिल हैं।	**(प्रेप – 2) और सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 11 व 12) के विद्यार्थी** प्रेप से लेकर कक्षा 2 के विद्यार्थी और कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थी सबसे पहले ऑन-साइट स्कूलिग अर्थात वापिस स्कूल आकर शिक्षा प्राप्त करना शुरु करेंगे। इन कक्षाओं के लिए मौजूदा रिमोर्ट लर्निंग कार्यक्रम जारी नहीं रहेगा। **कक्षा 3 से कक्षा 10 के विद्यार्थी** कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो घर से शिक्षा प्राप्त करना जारी रख सकते हैं, उन्हें घर से शिक्षा प्राप्त करना जारी रखना चाहिए। इन विद्यार्थियों का उनके स्कूल द्वारा रिमोर्ट लर्निंग के माध्यम से समर्थन किया जाना जारी रहेगा। जो विद्यार्थी घर से शिक्षा-प्राप्त करना जारी रखने में सक्षम नहीं हैं, वे अपने स्कूल में सुपरवाइज़ (निगरानी) किए जाने वाले कार्यक्रम में भाग लेना जारी रख सकते हैं। **स्कूल के कर्मचारी** स्टेज वन (पहले चरण) के दौरान स्कूल के सभी कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है कि वह स्कूल आएँ। कर्मचारियों का उनके स्कूलों और Employee Assistance Program (कर्मचारी सहायता कार्यक्रम) के माध्यम से अपने कल्याण का प्रबंध करने के लिए समर्थन किया जाएगा। **माता-पिता** माता-पिता को अपने स्कूल से ड्राप-ऑफ और पिक-अप प्रोटोकॉल से सम्बन्धित सलाह का अनुपालन करना चाहिए।	**सभी विद्यार्थी ऑन-साइट स्कूलिंग अर्थात स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करना शुरु करेंगे** सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी वापिस स्कूल जाना शुरु करेंगे। कैंप, सैर-सपाटे और भ्रमण जैसी गतिविधियाँ तब तक प्रदान नहीं जाएँगी जब तक कि वर्तमान यात्रा प्रतिबंध हटाए नहीं जाते हैं। स्कूल रिमोर्ट लर्निंग प्रोग्राम प्रदान करना बंद कर देंगे। **स्कूल के कर्मचारी** सभी कर्मचारी ऑन-साइट अर्थात स्कूल आना जारी रखेंगे। कर्मचारियों का उनके स्कूलों और Employee Assistance Program (कर्मचारी सहायता कार्यक्रम) के माध्यम से अपने कल्याण का प्रबंध करने का समर्थन किया जाना जारी रहेगा। **माता-पिता** माता-पिता को अपने स्कूल से ड्राप-ऑफ और पिक-अप प्रोटोकॉल से सम्बन्धित सलाह का अनुपालन करना चाहिए।	खेलकूद, कैंप और सैर-सपाटे जैसी नियमित स्कूली गतिविधियाँ यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के हटाए जाने के साथ-साथ शुरु होंगी।